...ए अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडारायसिंह जिला - टोंक (राज.)

नाम .... जगदीश बनाम रामनिवास ....

किस्म मुकदमा : दावा / ~~[illegible]~~ / ~~इजराय~~ .... दावा ....नम्बर .... वर्ष 201... 217/2019

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/19	अभिभाषक वादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शारिस्ते हो चुकी है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादी गण जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह	[signature]
18/10/19	अभि० वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश करने पर पत्रावली बतलब होकर आज पेश हुई प्रतिवादीगण की ओर से श्री शंकरलाल स्वामी Adv. ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया शा० रहे। पक्षकारान उप० व राजीनामा पेश किया। तस्दीक किया जाकर [illegible] बाकी में वादी जगदीश व प्रतिवादी रामनिवास के बयानात करवाये। शा० रहे। पत्रावली वास्ते बहस दि० 21/10/19 को पेश हो। [signature]	रामस्वरूप [signature] रामनिवास रामकिशन रामनारायण [signature]
21/10/19	अभि० आयुक्त उप०। प्रतिवादी नं. 4 बावजूद सूचना के उप० नहीं हो कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस अभि० आयुक्त समाप्त की गयी। जो मुख्य रूप से वाद पत्र जवाब दावा व राजीनामा के अनुसार रही। वादीगण का कथन है कि आराजी खाता सं. 34 कित्ता 9 रकबा 4.03 है० वाके ग्राम रामनिवासपुरा में प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा तथा खाता सं. 157 कित्ता 3 रकबा 2.64 है० का 1/3 वाके ग्राम [illegible] में स्थित है जो वादीगण	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न प्रतिवादीगण की पैत्रक व मौरूषी है। रामचन्द्र के वारिस रामनिवास रामकिशन, रामलाल हुए। रामनिवास के दो पुत्र जगदीश, रामस्वरूप तथा एक पुत्री निर्मला है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा रामचन्द्र की बसाई हुई थी जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। अर्थात् वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण का 1/12 हि० है। प्रति० नं. 1 का 1/12 हि० है। उक्त हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हि० 1/3 में वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हक हिस्से की आराजी में किसी तरह दखल न करें। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाबदावा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ने राजीनामा पेश किया जिसे वाद शामिल करवाया गया। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 34 वाके ग्राम रामनिवासपुरा प्रदर्श 1, खाता सं. 157 वाके ग्राम सरदारपुरा प्रदर्श 2, सालिक जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श 3, प्रदर्श 4, No dues प्रमाण पत्र रामनिवास का पेश किया। तथा बयानात वादी जगदीश व प्रतिवादी नं. 1 रामनिवास के करवाये गये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक सालिक रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श 3, प्रदर्श 4 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र नानूलाल के नाम दर्ज थी। खातेदार रामचन्द्र के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। प्रतिवादी नं. 1 रामनिवास के सगे पुत्र-पुत्री हैं वादीगण। वादग्रस्त आराजियात का वादग्रस्त आराजियात में वादीगण जन्मजात हक हिस्सा होना जाहिर है। आराजियात मुतदाविया का परदादान की पैत्रक एवं मौरूषी भी होना जाहिर है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार किया है। राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हिस्से 1/3 में वादीगण को प्रत्येक को हि० 1/12 के खातेदार घोषित करवाने के हकदार हैं। प्रति० नं. 1 के हिस्से की आराजी का No dues बैंक का पेश है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजीयात वर्णित खाता सं. 34 कुल किता 9 रकबा 4.03 है० जमाबंदी सम्वत् 2073-76 वाके ग्राम रामनिवासपुरा में एवं खाता सं. 157 जमाबंदी सम्वत् 2073-76 कुल किता 3 रकबा 2.64 है० वाके ग्राम सरदारपुरा तह० टोडारायसिंह में उक्त दोनों खातों की आराजीयात में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हि० 1/3 में वादीगण प्रत्येक को हि० 1/12 के तथा प्रतिवादी नं. 1 को हि० 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं. 2, 3 के हिस्से बदस्तूर रहेंगे। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा फरीकैन अपना 2 वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दि० 21.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)	